

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विधि सं. 17 (1) / 2017-18

अभियुक्ति

दिनांक

आदेश फलक

23/12/17

आवेदिका श्रीमती शांति देवी पति सीताराम वर्णवाल साठ धनबाद, जिला धनबाद ने मौजा सरायडेला मौजा नं० 08, खाता नं० 39,88,143,16 प्लॉट नं० 1587,2106,2108,2109 रकबा 13 1/4 डिसमिल भूमि का दाखिल खारिज केश सं० 27(11) 80-81 द्वारा होकर कायम जमाबंदी सं० 775 में दर्ज है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में दलील सं० 4272 के स्थान पर लिपकीय भूलवश 6810 दर्ज हो गया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से माँग करें। अभिलेख दिनांक 6/01/18 को रखा।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

6/01/18

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन समर्पित। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा सरायडेला मौजा नं० 08, खाता नं० 39,88,143,16 प्लॉट नं० 1587,2106,2108,2109 रकबा 13 1/4 डिसमिल भूमि निबंधित दलील सं० 4272/16,07,80 द्वारा खरीदगी भूमि है। जिसका दाखिल खारिज केश सं० 26(11) 80-81 द्वारा होकर जमाबंदी सं० 775 में शांति देवी के नाम से लगान रसीद निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भूलवश दलील सं० 4272 के स्थान पर 6810 हो गया है। जिसे दलील सं० 6810 के स्थान पर 4272 करने का अनुशंसा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने किया है।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है मौजा सरायडेला मौजा नं० 08, खाता नं० 39,88,143,16 प्लॉट नं० 1587,2106,2108,2109 रकबा 13 1/4 डिसमिल के हुए दाखिल खारिज में दलील सं० 4272 के स्थान पर 6810 हो गया है। जिसे सुधार कर दलील सं० 4272 करते हुए वकाए की तिथि से लगान वसूल करें। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद ।

झापांक 80 दिनांक 10/01/18

प्रेषित,

श्री अशोक कुमार
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 11, धनबाद ।

निदेश दिया जाता है कि मौजा सरायढेला मौजा नं० 08, खाता नं० 39,88,143,18
प्लॉट नं० 1587,2106,2108,2109 रकवा 13 1/4 डिसमिल के हुए दाखिल खारिज में दलील सं०
4272 के स्थान पर 6810 हो गया है। जिसे सुधार कर दलील सं० 4272 करते हुए वकाए की तिथि
से लगान वसूल करें।

अंचल अधिकारी,
धनबाद ।

सेवा में -

अंचल आधिकारी

घानाई

द्वारा अंचल अधिकारी

विषय - दण्ड नं० सुधार करने के संबंध में.

जहाँशाय

उपरोक्त विषय के संबंध में यह है कि ग्राम सचिवों के
 संख्या ०४ खाता ३१ ४४ १५३ ~~१६~~ ^{१६} वाली खते की मुक्ति है।
 जिसका नं० खात नं० २६ (१) ४० ~~४४~~ के अंतर्गत जहाँशाय
 सं. ७७५ में श्रीमति शोबि देवी के नाम से जहाँशाय कायम है।
 कुलवंश दीलख संख्या ५२७२ से जहाँ ६४१० संख्या
 के कर दिया गया है।

अतः ६४१० से जहाँ ५२७२ संख्या सुधार करने की
 अनुशासना भी जारी है।

दण्ड नं० ५२७२

दिनांक १८/७/८०


आपका विश्वासी

का
साया

सचिव

दण्ड ११

श्रीमंत
 डी. सी. श्रीनिवास
 संकाय मूल दलील
 एच. सी. श्रीनिवास
 ६ श्रीनिवास (असतकानि)

साया
 सा.


15/12/12

श्री माव अंचल क्लिकारी मंडल
अंचल - चनवाड

बिषय - दलीक वस्था को सुधार के लिए
आवेदन पत्र।

अद्यतन

सविनय निवेदन यह है कि मैं शान्ती देवी
पति श्रीग राम पूर्णवाल सादर मुझे शान्ती देवी
मेन्ट चनवाड के निवासी हूँ। मैंने दलीक नम्बर 4272
दिनांक 18-07-1980 रजि. नं - 1587 39, 88, 143, 16
0 कोट न - 1587, 2106, 2108 एवं 2109 रजि. नं 3-25
डिस्ट्रीक्ट वा 8 कडा है तथा ल. स्वा. नं 265/180-31
है। दलीक शुद्धि पत्र में 4272 दिनांक 18-07-1980 के
रजि. नं 6810 दिनांक 18-07-1980 ही गवाह
जमावती नम्बर 775 में रसीद किया है।

अतः श्रीमान ठेकम निवेदन है कि अंचल
द्वारा दलीक व को सुधार कर दलीक 6810 के अगद
पर 4272 दिनांक 18-07-1980 कर के प्रमाण पत्र
को की कृपा किया जाव।

आपका विरुद्ध
शान्ती देवी
पति श्रीग राम पूर्णवाल
जो नं - 08 रजि. नं - 39, 88, 143
रजि. नं 16
कोट न - 1587, 2106, 2108,
रजि. नं 2109 रजि. नं - 8 कडा

रजि. नं
15/12/19

1559
16/12/12